झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—585/2018— .... /राँची, दिनांक ....

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०—हिनू, राँची।

द्वारा :— आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :— अंजनवा जलाशय योजना के डैम सुदृढ़िकरण, मुख्य नहर का लाइनिंग तथा संरचनाओं का मरम्मति/पुनर्निर्माण सहित पुनरूद्धार (ई०आर०एम०) कार्य हेतु रू० 67.53 करोड़ (रू० सड़सठ करोड़ तिरपन लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश—स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग प्रक्षेत्राधीन चतरा जिले के मयुरहंड प्रखण्ड में अंजनवा नदी पर इटखोरी से 18 कि०मी० की दूरी पर निर्मित अंजनवा जलाशय योजना के डैम सुदृढ़िकरण, मुख्य नहर का लाइनिंग तथा संरचनाओं का मरम्मति/पुनर्निर्माण सहित पुनरूद्धार (ई०आर०एम०) काय रू० 67.53 करोड़ (रू० सड़सठ करोड़ तिरपन लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।।

3. योजना के स्पीलवे सहित डैम की लम्बाई 1357.70 मीटर है। डैम का टॉप लेवल 415.55 मीटर है। इस जलाशय का एफ०आर०एल० 412.12 मीटर एवं डी०एस०एल० 406.86 मीटर है। जलाशय का जीवित क्षमता (लाइव स्टोरेज) 5.53 MCM (4480 एकड़—फीट) आकलित है।

जलाशय से एक मुख्य नहर निकलती है जिसकी लम्बाई 19.26 कि०मी० तथा जलश्राव 1.81 क्यूमेक है। मुख्य नहर के 5.79 कि०मी० से बांयी तरफ निःसृत एकमात्र शाखा नहर की लम्बाई 5.49 कि०मी० है, जिसका जलश्राव 0.45 क्यूमेक है।

योजना का रूपांकित खरीफ सिंचाई क्षमता 1560 हेक्टेयर एवं रब्बी सिंचाई क्षमता 400 हेक्टेयर है। इस योजना से चतरा जिले के मयूरहंड प्रखण्ड के नवडिहा, सोकी, मनहारी, अमझार, मौना, अम्बातरी, चेरी, गुरवाडीह, धेवादौरी, दुहई, सुहई, नवादा, पेटादिरी, फुलंग, पथरा, खैरा, पचघड़ा, सोनपुरा खुर्द, मायापुर, महुगैन, डोरही, मनधनिया, तिलरा, महेशा एवं सलाई गाँवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इन ग्रामों में अधिकांश जनसंख्या पिछड़े एवं कमजोर वर्गों की है।

4. इस योजना के ई०आर०एम० कार्य के अंतर्गत मुख्य नहर, एवं शाखा नहर के मिट्टी बैंक का सुदृढ़िकरण कार्य तथा इनका तल सफाई (Desilting) कार्य है। मुख्य नहर के तटबंध की आवश्यक सुरक्षा हेतु तटबंध की मरम्मति एवं तटबंध से सीपेज द्वारा पानी की बर्बादी को रोकने, तटबंध को टूटने से बचाने तथा नहर के अंतिम छोर तक पानी पहूँचाने हेतु मुख्य नहर के लाईनिंग के कार्य का प्रावधान है। मुख्य नहर के चेन सं० 10.20 कि०मी० से 10.89 कि०मी० तक तथा शाखा नहर के चेन सं० 0.90 कि०मी० से 1.20 कि०मी० तक के भाग में चौर (बड़ा तालाब) एवं तालाब के तरफ बांध का निर्माण कर नहर के तरफ Concrete Lining तथा तालाब के तरफ slope में Toe Wall के साथ Boulder Pitching का प्रावधान है। साथ ही आवश्यकता अनुसार नहर के पानी को तालाब में प्रवाहित करने तथा तालाब के पानी को नहर में प्रवाहित करने हेतु तालाब के प्रारंभिक छोर तथा अंतिम छोर में Outlet (गेट सहित) का प्रावधान है। सी०डी०/सुपर पैसेज/अक्वाडक्ट/पुल–पुलिया आदि अन्य जलीय संरचनाओं को Replace कर नया RCC Box Type C.D. संरचना/Super Passage/Aqueduct/Bridge आदि के निर्माण का प्रावधान है। डैम के Spill Channel में Boulder Masonary से पूर्व निर्मित Fall पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है, इसे Replace कर नया Concrete Fall के निर्माण का प्रावधान है। नहरों के एक्वाडक्ट, सी०डी० संरचना, पुल, आउटलेट इत्यादि सभी संरचना का मरम्मति एवं पुनर्निर्माण कार्य शामिल है।

साथ ही डैम के सुदृढ़ीकरण, डैम के उपर टॉप ड्रेन, पारापेट वाल एवं डैम टॉप रोड, स्लोप ड्रेन, बर्म ड्रेन इत्यादि का पुनरूद्धार का प्रावधान है।

इस योजना के पुनरूद्धार कार्य की प्राक्कलित राशि **रू॰ 6753.48 लाख (रू॰ सड़सठ करोड़ तिरपन लाख अड़तालीस हजार)** मात्र में मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य की लागत राशि रू० 2580.06779 लाख शामिल है, जिसके प्रमुख अवयवों की विवरणी परिशिष्ट–I के रूप में संलग्न है।

5. योजना का यह पुनरूद्धार कार्य पूर्ण करने के पश्चात् योजना का ह्रासित **645 हेक्टर** खरीफ एवं 400 हे० रब्बी सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल हो सकेगा।

6. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, बरही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

योजना का कार्य मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग के प्रशासनिक नियंत्राधीन होगा। यॉंत्रिक कार्यों के लिए नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, यॉंत्रिक, रॉंची तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, बनासो होंगे।

7. योजना का कार्य वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रारंभ कर अगले दो वर्षों में वर्ष 2020–21 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

8. इस योजना के मुख्य नहर के lining कार्य सहित पुनरूद्धार कार्य का Incidence of Cost 6.46 लाख प्रति हेक्टेयर है।

9. इस योजना पर होने वाला व्यय, बजट उपबंध,

(i) मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य, लघु शीर्ष –800–अन्य व्यय, उपशीर्ष–54–सिंचाई योजना का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा। (विपत्र कोड– 49S-4701-80-800-54-05-45)

10. वर्ष 2018–19 के लिये प्रस्तावित बजट में पुरानी सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है –

i. शीर्ष 49S – 4701 – 80 – 800 – 54 – 05 – 45 में रू० 30000.00 लाख

11. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिससे अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।

12. कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य निहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

13. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. प्रस्तावित कार्य के लिये राशि की निकासी हजारीबाग कोषागार, हजारीबाग से की जायेगी।

15. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

16. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

17. दिनांक 11.12.2018 के बैठक में मद संख्या–05 के रूप में शामिल इस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

18. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

19. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

20. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

21. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

22. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/–

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—585/2018— .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना —सह— वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—585/2018— .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग कोषागार, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—585/2018— 44/18-19 प्र.स्वी. /राँची, दिनांक 01.01.2019

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख—I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल—1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, बरही/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०—3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी—7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/12/2018

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

3/1/18